IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति जोधपुर जिले के विषेष सन्दर्भ में

डॉ. पूनम भण्डारी
सहायक आचार्य (हिन्दी विभाग)
लाचू मेमोरियल कॉलेज आफ साइंस
एंड टेक्नोलॉजी, जोधपुर (राजस्थान)

प्रस्तावना –

1947 से पूर्व आरम्भ हुआ शरणार्थियों का आगमन 21वी सदी तक निरन्तर जारी है। वर्तमान समय की शरणार्थी समस्या मूलभूत रूप से विकासशील राष्ट्रों के स्व नियंत्रण से पूर्व के भौगोलिक विभाजन कूटनीतिक निर्णय आदि के कारण जनसंख्या का विशाल समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य हुए। राजस्थान के जोधपुर शहर में शरणार्थियों का आगमन मूल रूप से 1947 ई. के पूर्व व पश्चात् घटित घटनाक्रम के कारण उत्पन्न हुआ। भारत एक विकासशील देश है जो शरणार्थियों की उत्पत्ति व आगमन का भी मुख्य स्रोत है अनेकों कारणो की वजह से किसी देश के मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने के लिए बाध्य होते है, इनमें मुख्य कारण युद्ध जनित परिस्थितियाँ, गृह युद्ध, मनुष्य के अधिकारों का हनन, उनका शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, रोजी–रोटी का संकट, प्राकृतिक व मानव जनित परिस्थितियाँ आदि है। ऐसे विकासशील देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती ऐसे विकासशील देश इन शरणार्थियों की पहली वरीयता होते हैं। इस कारण से विकासशील देशों में सामजिक, आर्थिक परिस्थिति का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से शरणर्थियों के विस्थापन की समस्या के अनेक कारण होते हैं जिनसे किसी राज्य का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से परिवर्तन होने लगता है। शरणार्थी उन लोगो का समूह होता है, जिनको अपनी जमीन अपना देश किसी दबाव में आकर छोड़ना पड़ता है और अनजान देश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिससे देश के सम्मुख इनके बसावट रहने की व्यवस्था उनका समायोजन करने की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

जहाँ विकासशील देश मे ऐसी स्थितियाँ चिंताजनक होती है वहीं शरणार्थी बनने पर इन लोगों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका इस प्रकार पलायन उनकी समाजिक स्थिति को अव्यवस्थित कर देता है, उन्हें अपनी जमीन–जायदाद घर परिवार पुस्तैनी मकान परिवार सबकुछ छोड़कर

नए अपरिचित देश में अपनी नयी जिंदगी की शुरूआत करनी पड़ती है। अनेक दुःख तकलीफों को सहते हुए अपने जीवन की नई शुरूवात करने के लिए नयी जिजीविषा के साथ में संघर्ष करते हुए अपने आपको निरन्तर हौसला देते हुए ये शरणार्थी जीवन संघर्ष करते हैं।

बिखरे परिवार बिखरी हुई संस्कृति की स्मृतियाँ समेटे हुए ये शरणार्थी निन्तर अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहते हैं। बड़े परिवार शरणार्थी होने पर एक ही स्थान पर इतने बड़े परिवार के साथ रहने में असमर्थ होते है क्योंकि इतने बड़े स्थान का मिल पाना असम्भव होता है, जहाँ ये अपने बड़े परिवार के साथ रह सके फलस्वरूप इनका परिवार छोटे–छोटे टुकड़ो में बँट जाता है जिसके कारण इनका साम्प्रदायिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। शरणार्थी वर्षो तक नए देश में शरणार्थी ही बने रहते है। यह लगभग असम्भव ही होता है कि ये शरणार्थी शरण लिए गए देश में पूरी तरह से वहाँ के सामाजिक आर्थिक परिवेश में घुल–मिल जाए वहाँ की सभ्यता संस्कृति को पूर्णतया आत्मसात कर ले।

भारतीय नागरिकता अधिनियम (Indian Citizenship Act)

नागरिकता अधिनियम 1955 के अन्तर्गत ऐसे लोग जो विभाजन से पहले अविभाजित भारत में निवासरत थे। लेकिन बाद में वे पाकिस्तान चले गए उनकी संतानो को 1955 में 5 साल में कानूनन नागरिकता देने का प्रावधान लागू किया गया। इसके बाद में इस प्रावधान को 7 साल कर दिया गया।

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955

किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं भारतीय नागरिक व विदेशी नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनकी अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है, उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी और विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं इसलिए उन्हें सभी नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, इनको दो श्रेणियों में बाँटा गया है– विदेशी मित्र व विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक सौहार्दपूर्ण सम्बंध है। वहीं विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत सम्बंध अच्छे नहीं है। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरूद्ध सुरक्षित होते हैं। भारत में नागरिकता नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदान की जाती है।

इस अधिनियम में अब तक 12 बार संशोधन किया जा चुका है यथा –

1. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957
2. निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1968
3. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985
4. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986
5. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992
6. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003
7. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005
8. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015
9. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 (द्वितीय)
10. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016
11. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2018
12. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2018 (द्वितीय)

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन किया जा चुका है, फिर भी अभी तक पाक विस्थापितों की सहायता के लिए एक बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया जैसे कि कई संगठन में पाक विस्थापित माँग कर रहे हैं।

भारतीय नागरिकता का अर्जन

नगरिकता अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता के अर्जन हेतु पाँच प्रकार की शर्ते निर्धारित की गई है –

1. जन्म के आधार पर नागरिकता
2. वंशानुगत आधार पर नागरिकता
3. पंजीकरण के आधार पर नागरिकता
4. प्राकृतिक आधार पर नागरिकता
5. क्षेत्र के अधिग्रहण समाविष्टी के आधार पर नागरिकता

ज्ञातव्य है कि अब तक सभी नागरिकता सम्बंधी संविधान संशोधन में पाकिस्तान व बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान सबसे कठोर है, इस कारण बांग्लादेशी व पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक लम्बी व जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है जो कि इन शरणार्थियों के कष्ट का प्रमुख कारण है।

पाकिस्तानी शरणार्थियों की समस्याएँ –

जब किसी व्यक्ति को जो शरणार्थी के रूप में किसी अन्य देश में आया हो और लम्बे समय तक रहने के बाद भी उसे नये देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है तो उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह समस्या अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देती है। पाक विस्थापितों की समस्या को प्रमुख रूप से तीन वर्गो में बाँटा जा सकता है – 1. सामाजिक 2. आर्थिक 3. राजनैतिक

जोधपुर की स्थिति –

जोधपुर जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग 26° से 27° उत्तरी अक्षांश व 72°55′ से 73° 52′ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। यह 197 किमी उत्तर से दक्षिण तथा 208 किमी पूर्व से पश्चिम की और फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी सीमा जैसलमेर जिले से होते हुए पाकिस्तान की सीमा तक जाती है।

जोधपुर को मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है तथा जोधपुर शहर को ब्लू सिटी, सूर्यनगरी के नाम से जाना जाता है। हिन्दी, मारवाड़ी व राजस्थानी यहाँ मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएँ है किन्तु विशिष्ट रूप से बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी है। यहाँ की अपनी गौरवशाली समृद्ध परम्परा है जिस पर यहाँ के लोग गर्व करते है। अपणायत व आवभगत के लिए जोधपुर शहर विश्व के अनेक देशों मे अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ मुख्यतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था पायी जाती है। महिलाए अधिकतर गृहिणी है इनमें पर्दा प्रथा मुख्य रूप से पायी जाती है। साधारण जीवन शैली के कारण पाक विस्थापित महिलाएँ यहाँ के परिवेश मे रंग बस गयी है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों तक पाकिस्तान में रहने के बावजूद उनकी भाषा व पहनावा यहाँ से काफी मिलता–जुलता है इस कारण इन्हें पहचानना काफी कठिन हो जाता है कि वे जोधपुरवासी है या पाकिस्तानी शरणार्थी। शरणार्थियों के आगमन से यहाँ की जनसख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न है –

1. पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को समझना।
2. इन शरणार्थियों की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करना।
3. पाक विस्थापित शरणार्थियों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की सुधार सीमा का आकलन करना।

अनुसंधान पद्धति –

प्रस्तुत अध्ययन में जोधपुर शहर में रह रहे पाक शरणार्थियों के 100 परिवारों की समाजिक तथा आर्थिक स्थिति का आंकलन किया गया है। अध्ययन में साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है।

इन परिवारों का चयन जोधपुर शहर के अलग–अलग स्थानों में निवासरत विस्थापित शरणार्थियों का मिश्रित रूप से लिया गया है। इसमें मुख्यतः जोधपुर शहर के सात भागों की शरणार्थियों की बस्तियों से लिया गया है जिसमें शरणार्थियों की संख्या की सघनता सर्वाधिक है।

यह सात भाग निम्नलिखित है –

1. काली बेरी
2. बनाड़
3. मसुरिया
4. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड
5. गंगाणा
6. प्रतापनगर
7. सूरसागर

परिणाम तालिका –

जोधपुर में निवासरत पाक शरणार्थियों की सामाजिक स्थिति को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है – दयनीय समान्य से निम्न, सामान्य से अच्छा व उत्तम। क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अवलोकन से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर जोधपुर नगर की उपर्युक्त शरणार्थियों की बस्तियों को निम्न तालिका द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

चयनित स्थलों की वर्गीकृत तालिका –

क्र.स.	स्थल	श्रेणी
1.	काली बेरी	दयनीय स्थिति
2.	बनाड़	सामान्य से निम्न
3.	मसूरिया	सामान्य से निम्न
4.	चौपासनी हाउसिंग बोर्ड	अच्छा
5.	गंगाणा	दयनीय स्थिति
6.	प्रतापनगर	सामान्य
7.	सूरसागर	सामान्य से निम्न

स्रोत –

क्षेत्र सर्वेक्षण तालिका को देखने से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित बस्तियों में सामाजिक सविधाओं के न होने के कारण अधिकांश बस्तियाँ सामान्य से निम्न स्तर की पायी गई है। जोधपुर शहर में चयनित पाक विस्थापित शरणर्थी बस्तियों की सामाजिक दशा एवं पहचान की अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ –

1. इन परिवारों के कई सदस्य आज भी पाकिस्तान में रह रहें हैं अपने परिचितों रिश्तेदारों से बिछड़ने के दर्द के कारण इन्हें कई प्रकार मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है।
2. 10–15 वर्षों तक रहने के बावजुद आज भी इन्हें अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
3. अराजक तत्वों के द्वारा आज भी इन्हें परेशान किया जाता है जिनसे ये अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं।
4. पाक विस्थापित सुनकर आज भी यहाँ के मूल निवासी इन्हें शक की दृष्टि से देखते है, जिनसे ये हीनता ग्रस्त हो जाते हैं।
5. मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य वेरिफिकेशन कार्ड न होने के कारण अनेक प्रशासनिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
6. अशिक्षित होने के कारण रोजगार नहीं मिल पाता।
7. शिक्षित होने पर भी कम वेतन पर कार्य करने की मजबूरी।
8. शिक्षा, आवास व रोजगार की कमी।
9. जीवन स्तर का निम्न होना।
10. बेराजगारी प्रमुख समस्या, नागरिकता के अभाव में आवश्यक दस्तावेजों के अभाव के कारण कोई भी इन्हें आसानी से नौकरी पर नहीं रखते है।
11. शरणार्थियों के भरण पोषण की व्यवस्था करना सरकार के लिए चुनौतिपूर्ण।
12. जनसंख्या परिवर्तन की समस्या।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. Mallica Mishra (2014), Tibetan Refugees in India ; Education, culture and growing up in Exile.
2. Sabira Devjee (2010) ; Education of Refugee youth students perspectives.
3. Indian Institute of Human rights New Delhi ; Refugee protection and plan of action. (Institute of human rights New Delhi, 2001)
4- South Asia human rights documentation center, New Delhi ; Bhutanese Political crisis and Refugees problem (South Asia human rights Documentation center New Delhi, 1998) (NHRC)